लोग आए दिन विरोध कर रहे पर कोई सुनवाई नहीं हो रही

बिल्डर वसूल रहे 20% ज्यादा बिजली बिल

मनमानी

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। बिल्डर सोसाइटी में रहने वाले लॉगों को बिजली बिल की अधिक कीमत चुकनी पड़ रही है। बिल्डर लोगों से प्रति यूनिट 20% अधिक शुल्क वसूल रहा है। निवासियों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने का विरोध करने के बाद भी बिल्डर की मनमानी जारी है।

शहर में बिल्डरों की चार सौ से अधिक छोटी-बड़ी सोसाइटियां हैं। इसमें तीन लाख से अधिक परिवार रह रहे हैं। इन बिल्डर सोसाइटी में विद्युत निगम द्वारा एलएमवी-1 के सप्लाई टाइप 12 के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाता है। इसमें बिल्डर से विद्युत निगम प्रति किलोवाट 110 रुपये शल्क और प्रति युनिट छह रुपये 30 पैस के तहत बिल लिया जाता है, जबकि बिल्डर लोगों से निर्धारित शुल्क से 10 से 20 प्रतिशत अधिक कीमत वसुल रहा है। इसके साथ ही प्रति किलोवाट का फिक्स जार्च भी 10 से 20 प्रतिशत अधिक वूसल रहा है। इससे बिल्डर सोसाइटी में लोगों को बिजली के बिल की अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

हालांकि सोसाइटी के लोग बिल्डर द्वारा वसूली जा रही अधिक कीमत का लगातार विरोध भी कर रहे हैं और विद्युत निगम में शिकायत भी कर रहे हैं। परंतु बिल्डरों की मनमानी जारी है। बिल्डरों पर विद्युत व्यथा निवारण फोरम के आदेशों का असर नहीं पड़ रहा है।

सेक्टर-75 सोसाइटी में रहने वाले लोग राकेश कुमार ने बताया कि अधिक बिल वसूली का विरोध करने पर



कि सिंगल प्वाइंट के बिजली कनेक्शन पर बिल्डर या एओए अधिकतम ६.61 प्रति यूनिट के हिसाब से ही शुल्क ले सकते हैं। अगर कोई इसे अधिक शुल्क लेता है तो जांच करेंगे। – वीएन सिंह, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम।

	प्रति यूनिट	फिक्सचार्ज
विद्युत निगम शुल्क	6.30	110
बिल्डर ले रहा शुल्क	6.93-7.56	120-130

बिल्डर बिजली सप्लाई ही बंद कर देता है। इसकी शिकायत की जाती है तो बिल्डर तकनीकी दिक्कतों का हवाला दे देता है। फिर घंटों तक बगैर बिजली के ही रहना पड़ता है। विद्युत निगम में शिकायत करने पर भी कोई असर नहीं होता है। ऐसे में बिल्डर के मनमाने शुल्क के तहत ही बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।

एओए द्वारा लिया जा रहा है उचित शुल्क: जिन सोसाइटी में एओए को सोसाइटी का चार्ज मिल गया है। उन सोसाइटी में एओए द्वारा बिजली का अधिक शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ऐसी सोसाइटी में एओए के पदाधिकारी विद्युत निगम के नियमों के अनुसार ही शुल्क ले रहे हैं। इन सोसाइटी में बिजली के बिल को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है।

अक्सर रहता है विवाद: शहर की जिन सोसाइटी में बिजली सप्लाई और बिल जमा करने की व्यवस्था बिल्डर द्वारा की जाती है उनमें बिजली की दरों को लेकर आए दिन लोग सामूहिक रूप से धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं। केवल पांच प्रतिशत अधिक वसूलने का नियम: विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार बिल्डर को प्रतियूनिट पांच प्रतिशत अधिक शुल्क क्ष्मूलने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में बिल्डर 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट के बजाए 6 रुपये 61 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली बिल ले सकते हैं। इससे अधिक शुल्क लेने पर कार्रवाई की जाती है। शिकायत कर्ता को अतिरिक्त राशि वापस दिलाई जाती है।

मनमानी से बचने के लिए उपभोक्ता नहीं करते शिकायत: सेक्टर-75 की नामी बिल्डर सोसाइटी में रहने वाले निवासी ने नाम नहीं प्रकाशित करने के निवेदन पर बताया कि बिल्डर द्वारा बिजली बिल की अधिक वूसली की जाती है। इसकी विद्युत निगम के दफ्तर में शिकायत करने पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में बिल्डर शिकायत कर्ता की घर की बत्ती गुल करके परेशान करता है। बिल्डर की इस तरह की मनमानी की वजह से पीड़ित बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने से बचते हैं।